न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 88 / 2021
आरसीएमएस नं0 2021 / 88
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट 1955

1. शिशपाल पुत्र मोहनलाल जाति नाई साकिन गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
2. इमीलाल पुत्र मोहनलाल जाति नाई साकिन गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र औमप्रकाश
2. औमप्रकाश पुत्र रामजीलाल
3. इन्द्राज पुत्र औमप्रकाश
4. विनोद कुमार पुत्र औमप्रकाश
5. रूकमणी देवी पुत्री औमप्रकाश

(1–5) जाति नाई साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल रेस्पोडेण्ट

7. भंवरी पुत्री मोहनलाल
8. रेशमी पुत्री मोहनलाल
9. गुड्डीदेवी पुत्री मोहनलाल
10. सरस्वती पुत्री मोहनलाल
11. चुका देवी पत्नी रूपाराम
12. मन्जू पुत्री रूपाराम
13. दयाराम पुत्र रूपाराम
14. सुरेश पुत्र रूपाराम
15. रामनिवास पुत्र रूपाराम

(7–15) जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2021
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर,
प्रकरण संख्या 773 / 2020 बअनवानी प्रहलाद बनाम औमप्रकाश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 ता 5
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6

निर्णय दिनांकः— 21.7.22

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। जिसमें रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के खाता संख्या 42 / 35 के खसरा नं. 21 की 7.3350 है0 भूमि में 377 / 1467 हिस्सा वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज होना बताया तथा प्रश्नगत भूमि पैतृक होना एवं वादी के दादा रामजीलाल पुत्र गणेशाराम का देहान्त होना बताते हुए एवं वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का जन्म से अपने पिता के साथ विवादित भूमि में ब.हिब. एवं बहनों द्वारा अपना हिस्सा तर्क करने का कथन करते हुए वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 3 विवादित भूमि को ब.हि.ब. दर्ज करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी नं. 1 ता 4 ने इकबाल दावा पेश किया विचारण न्यायालय दावा एवं इकबाल दावा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. अपील पेश करने के उपरान्त दिनांक 21.07.2022 को अपीलाण्ट ने प्रार्थना—पत्र पेश किया कि सम्बन्धित पक्षकारों के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका गया है मुताबिक राजीनामा अपीलाण्ट अपील नहीं चलाना चाहते हें। चूंकि अपीलाण्ट अपील चलाना नहीं चाहता है। इसलिए अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.7.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21/7/22
(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ